



राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद

संख्या-73 (लो0सू0अ0)/2022-23

मो. अब्दुल बद्द, ग्राम-सतधरा, पोस्ट-तरबी, भाया-जोकीहाट, जिला-अररिया, राज्य-बिहार,

पिन-854329

बनाम

कुलपति-सह-लोक सूचना पदाधिकारी, पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
21.12.2022	<p>मो. अब्दुल बद्द, ग्राम-सतधरा, पोस्ट-तरबी, भाया-जोकीहाट, जिला-अररिया, राज्य-बिहार, पिन-854329 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक- 14.12.2022 इस कार्यालय में दिनांक-14.12.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है।</p> <p>अपीलकर्ता मो. अब्दुल बद्द ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक-18.10.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी-सह-कुलपति, पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णिया को दिया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी से सूचना/निर्णय प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-राज्यपाल के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है।</p> <p>साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक-18.10.2022 की प्रति भी संलग्न की है।</p> <p>विदित हो कि कोई भी विश्वविद्यालय एक स्वायत्त (Autonomous) संस्था है तथा यह सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत एक स्वतंत्र लोक प्राधिकार है, जिसके कारण संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार को Designate किया जाता है। अतः विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार उक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही रहते हैं न कि राज्यपाल सचिवालय अथवा कुलाधिपति कार्यालय में।</p> <p>बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम-3 (परिशिष्ट-1) के अनुसार अपील शुल्क के रूप में ₹ 10/- (दस रुपए) देय है, जो अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है और न ही गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का कोई साक्ष्य संलग्न किया है।</p> <p>उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी मो. अब्दुल बद्द द्वारा दायर प्रथम अपील को अस्वीकृत किया जाता है।</p> <p>सभी संबंधित को सूचित करें।</p>	

विशेष कार्य पदाधिकारी
-सह-
प्रथम अपीलीय प्राधिकार